

2

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

पत्रांक-प्र0-01/ल0ज0सं0/स्था0(राज0)-से0नि0-02/2021

/पटना, दिनांक-

प्रेषक,

सुशांत कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा,

स्पीड-पोस्ट

श्री अरूण कुमार,
सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियन्ता,

पत्राचार का पता-NEAR JATAHI MANDIR, PARK ROAD,
ROAD NO.-10, MOH.-ARFABAD COLONY,
PO.-GULZARBAGH, PATNA,
PIN CODE-800007

विषय:- सेवान्त लाभ भुगतान के संबंध में ।

प्रसंग:- आपका अभ्यावेदन दिनांक-02.06.2024

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभाग द्वारा सेवान्त लाभ की स्वीकृति हेतु पेंशन प्रपत्र एवं अन्य अभिलेख समर्पित करने हेतु अनेकों बार स्मारित करने के बाद आपके प्रासंगिक अभ्यावेदन के माध्यम से सूचित किया गया है कि “लघु सिंचाई प्रमण्डल, बांका से विभागीय बकाया रहित/सहित प्रमाण-पत्र एवं आवासीय भवन से संबंधित बकाया रहित/सहित प्रमाण-पत्र और अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र अप्राप्त रहने के कारण पेंशन प्रपत्र समर्पित नहीं किया जा सका है ।”

उल्लेखनीय है कि अभियन्ताओं के वेतनादि का भुगतान महालेखाकार/वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत वेतनपूर्जा के आधार पर की जाती है, जिसकी प्रति संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कोषागार और कर्मों को भी दी जाती है ।

अतएव अनुरोध है कि प्राप्त अंतिम वेतनपूर्जा के आधार पर पेंशन प्रपत्र तीन प्रतियों में भरकर अन्य वांछित अभिलेख के साथ कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, बांका को उपलब्ध कराया जाय । विभागीय बकाया एवं अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र की मांग के साथ ही आवासीय रहित/सहित प्रमाण-पत्र हेतु भवन प्रमण्डल से पत्राचार कर प्राप्त करने का निदेश भी कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, बांका को दिया जा रहा है ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(सुशांत कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव
लघु जल संसाधन विभाग ।

ज्ञापांक-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0)विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव ।

कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक-

/पटना, दिनांक-

ई-मेल

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, बांका को प्रासंगिक अभ्यावेदन की छायाप्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनुरोध है कि श्री अरूण कुमार, सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियन्ता से पेंशन प्रपत्रादि प्राप्त कर पेंशन प्रपत्र तीन प्रतियों में अन्य वांछित अभिलेख के साथ विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय । विभागीय बकाया एवं अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने के साथ ही भवन प्रमण्डल, बांका से आवासीय मांग रहित/सहित प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु अविलम्ब कार्रवाई की जाय ।

अनु०- यथोक्त ।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-

/पटना, दिनांक-

ई-मेल

प्रतिलिपि-मुख्य अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर/अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई अंचल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-

28/6

/पटना, दिनांक-

18/06/24

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-10/आई०टी० मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

 14/06/2024

सरकार के संयुक्त सचिव ।

